

इनसाइट/द बगि पकिचर/देश-देशांतर: भारतीय बैंकों पर संकट क्यों?

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

ऊँची ब्याज दर और अनुकूल माहौल न मिल पाने की वजह से उद्योगों की कॉर्पोरेट ऋण चुकाने संबंधी क्षमता को लेकर पछिले कुछ वर्षों से जताए जाने वाले संदेह अब सच होते दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में ऋण चुकाने में असमर्थता जताने वाली कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐसी कंपनियों का प्रतिशत पछिले वर्ष के 2.6% से बढ़कर 3.4% हो गया है। इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में हालिया कुछ दिनों में अलग-अलग बैंकों से जुड़े घोटाले के कई नए मामले सामने आए हैं। अभी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 11 हजार 400 करोड़ रुपए के घोटाले को लोग भूले भी नहीं थे कि एक नया मामला ICICI बैंक को लेकर सामने आया। इससे पहले रोटोमैक पैन के मालिक विक्रम कोठारी का सात सरकारी बैंकों के साथ कथिया गया घोटाला, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का घोटाला और राजस्थान के बाड़मेर में पीएनबी की शाखा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर कथिया घोटाला भी सामने आया। पूर्व में उद्योगपति विजय माल्या द्वारा बैंकों के हजारों करोड़ रुपए का घपला कर भारत से भाग जाने का मामला सामने आया था।

ICICI बैंक मामला क्या है?

- वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने वर्ष 2008 से 2011 के बीच चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को अपनी एक कंपनी महज़ कुछ लाख रुपए में बेच दी। बाद में 2012 में ICICI बैंक ने वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपए का ऋण दिया और 2017 में इसमें से लगभग 2800 करोड़ रुपए को एनपीए घोषित कर दिया।

हत्तियों के टकराव का है मामला

बैंकों द्वारा नयियों को ताक पर रखकर नज़ी कंपनियों को दिये जाने वाले ऋणों पर उठ रहे सवाल के बीच आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर के हत्तियों के टकराव से जुड़ा नया मामला सामने आया है। आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन कंपनी को ऋण दिया, जिसके प्रमुख वेणुगोपाल धूत के चंदा कोचर के पति दीपक कोचर से कारोबारी संबंध हैं। 2008 में धूत ने दीपक कोचर और चंदा के दो अन्य रश्तेदारों के साथ एक कंपनी (एनयूपावर रनियूएबलस प्राइवेट लिमिटेड) खोली, उसके बाद इस कंपनी को अपनी एक कंपनी द्वारा 64 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद उस कंपनी (जिसके द्वारा लोन दिया गया था) का स्वामित्व केवल 9 लाख रुपयों में एक ट्रस्ट को सौंप दिया, जिसके प्रमुख दीपक कोचर हैं। इससे ठीक 6 महीने पहले वीडियोकॉन को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 3,250 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। यहीं पर हत्तियों के टकराव का सवाल खड़ा होता है क्योंकि वीडियोकॉन द्वारा इस लोन का 86% हिस्सा चुकाया नहीं गया और साल 2017 में वीडियोकॉन के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल

ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फचि के अनुसार वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिये गए ऋण में हत्तियों के टकराव से बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों पर भी सवाल उठे हैं। इसकी वजह से बैंक की साख प्रभावित होती है और नए खतरे पैदा होते हैं। परसिंपततियों के लहजा से भारत के दूसरे सबसे बड़े नज़ी बैंक आईसीआईसीआई को फचि ने बीबीबी रेटिंग दी है, जो इन्व्स्टमेंट ग्रेड की सबसे कम रेटिंग है। फचि ने भारत को भी बीबीबी रेटिंग दी है। फचि के अनुसार, दिसंबर 2017 में बैंक का कोर कैपिटलाइज़ेशन 14.2% था जो बैंकिंग सेक्टर में सबसे अधिक था।

सरकारी बैंकों का नज़ीकरण समस्या का समाधान नहीं

- सरकारी बैंकों में कामकाज करने के तरीके में खामियाँ सामने आने के बाद कुछ लोगों का यह मत सामने आया है कि सरकारी बैंकों का नज़ीकरण कर दिया जाए यानी बैंकों को नज़ी हाथों में सौंप देना इस समस्या से निपटने का सही तरीका है।
- यह सही है कि हाल में कई बैंक घोटाले सामने आए हैं और बैंकों के कुल कॉर्पोरेट ऋण में से 15-20% एनपीए हो गया है तथा इससे बैंकों की लाभप्रदता कम हो गई है। ये समस्याएँ तो हैं, लेकिन इसका नदिन नज़ीकरण तो कतई नहीं है।
- सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली सुधारने की ज़रूरत है और उनमें मौजूद कई तरह की समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है ताकि वे बेहतर काम कर सकें। सरकारी बैंकों का नज़ीकरण कर देना कुछ कंपनियों या कुछ बाहरी कारणों से हुए नुकसान से थक कर समस्या को और भी बढ़ा कर देना है और ऐसा करने पर इसके दायरे में आम लोग भी आ जाएंगे।
- ऐसा नहीं है कि नज़ी बैंकों में एनपीए नहीं है, लेकिन सरकारी बैंकों में एनपीए का कारण उनकी उनकी अपना बज़िनेस मॉडल है। ऊपर से सरकारी नीतियाँ ऐसी हैं जिनसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अवसरचनानिर्माण क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को ऋण देने के लिये राजनीतिक दबाव भी रहता है। भारत में मौजूद 2-3 बैंकों को छोड़कर अधिकतर बैंक रटिल लोन ही देते हैं और यदि सरकारी बैंक भी रटिल लोन पर ही ध्यान देते

तो उनका एनपीए भी इतना अधिक नहीं होता।

(टीम दृष्टि इनपुट)

बेहतर पारदर्शी जोखिम प्रबंधन की ज़रूरत

- बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम से बचना असंभव है तथा इस कारण किसी सक्रिय बैंक के लिये बेहतर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क बेहद ज़रूरी है।
- जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है प्रभावी रूप से जोखिम-प्रतफिल ट्रेड-ऑफ में संतुलन बनाए रखना अर्थात् 'दिये गए जोखिम के लिये अधिकतम प्रतफिल' तथा 'दिये गए प्रतफिल के लिये न्यूनतम जोखिम।'
- किसी बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता के निर्धारण की ज़िम्मेदारी उसके बोर्ड तथा शीर्ष प्रबंधन के कंधों पर होती है।
- यदि बैंक के सममुख आने वाले प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिये जोखिम सीमा तथा बैंक की समग्र जोखिम वहन करने की क्षमता निर्धारित नहीं की गई है तो जोखिम का मापन या नगिरानी कर पाना संभव ही नहीं है।
- किसी भी बैंक की सफलता के लिये जोखिम प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः बैंकों के शीर्ष प्रबंधन को बाज़ार के बदलते समीकरणों तथा वनियमन दशा-नरिदेशों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क लागू करने का प्रयास करना चाहिये।

क्या होगा विपरीत प्रभाव?

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये सभी सरकारों द्वारा कॉरपोरेट जगत को विशेष सुविधा दी जाती है और कॉरपोरेट जगत से उम्मीद की जाती है कि वे आर्थिक सुधार की बुनियाद खड़ी करेंगे। लेकिन देश के अधिकांश बैंक आज स्वयं करज़ में डूब गए हैं या डूबने के कगार पर हैं। विकास के लिये नज़ी क्षेत्र में निवेश आवश्यक है, लेकिन बढ़ते एनपीए से उद्योग जगत के लिये पूंजी जुटाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बैंक अब उद्योग जगत को करज़ देने में अत्यधिक सावधानी बरतने लगे हैं। जबकि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और विकास दर में इज़ाफा करने के लिये आवश्यक है कि बैंक कंपनियों को करज़ देने में कोताही न बरतें क्योंकि उद्योग जगत को करज़ मिलने से ही वनिरिमाण क्षेत्र में तेज़ी, रोज़गार में बढ़ोतरी, विविध उत्पादों की बिक्री में तेज़ी आदि संभव हो सकता है।

कल तक ठोस धरातल पर खड़े अधिकतर सार्वजनिक बैंकों की हालत नाजुक हो गई है। जहाँ एनपीए का स्तर बेकाबू होता जा रहा है, वहीं धोखाधड़ी और फर्जी ऋण वितरण के चलते बैंकों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। सरकारी बैंकों की तुलना में नज़ी बैंकों को अधिक जागरूक और सक्रिय माना जाता है, लेकिन पूंजी बाज़ार में नज़ी बैंकों की लगभग 30% भागीदारी होने के बावजूद बैंकों में धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान में उनकी भागीदारी अधिक है। देश का आर्थिक विकास इस कदर प्रभावित हो रहा है कि इन लाखों करोड़ रुपए को देश में आधारभूत सुविधाओं के वसितार में खर्च किया जा सकता है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

रज़िर्व बैंक ने उठाए कदम

देश के बैंकों में लगातार हो रहे घोटालों के बाद अब भारतीय रज़िर्व बैंक ने कई कड़े कदम उठाए हैं। वर्तमान में, 21 सरकारी बैंकों में से 11 बैंकों पर **पार्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क** के तहत बैंकों के लोन देने पर रज़िर्व बैंक नज़र बनाए हुए है। वह इन दशा-नरिदेशों को इसलिये लागू करता है ताकि बैंक बंद न हो जाएँ और वे इससे बचने के लिये सही समय पर ज़रूरी कदम उठा सकें।

- भारतीय रज़िर्व बैंक को अधिकार दिया गया है कि वह एकल बैंकों की गैर लाभकारी परसिंपत्तियों की समस्या के समाधान के लिये प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है, यह भविष्य के लिये एक बेहद सकारात्मक कदम है। अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि इस प्रकार के बैंकों के प्रबंधन डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के समूहों पर कोई नरिणयात्मक ठोस कार्रवाई करने से बचते थे।
- बैंक प्रबंधनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के भविष्य के आरोपों का डर उनके खिलाफ कदम न उठाने की प्रमुख वजहों में था क्योंकि बैंड लोन के किसी भी निपटान में किसी-न-किसी पर कार्रवाई होनी लाजिमी थी।
- अब भारतीय रज़िर्व बैंक के डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ नरिणयात्मक भूमिका में आ जाने से बैंकों के प्रबंधन ऐसे बड़े कॉरपोरेट करज़दारों के खिलाफ कदम आसानी से उठा सकेंगे।
- भारतीय रज़िर्व बैंक से सरकार को अपनी इकवटि अंतरित करने के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया है। भारतीय डाकघर अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम एकीकृत किये जा रहे हैं तथा कुछ अतिरिक्त लोकोपयोगी उपाय शुरू किये जा रहे हैं।
- भारतीय रज़िर्व बैंक को अधिक लक्विडिटी के प्रबंधन का माध्यम बनाने, भारतीय रज़िर्व बैंक अधिनियम को गैर-रेहनीय जमा सुविधा के रूप में संस्थाकति करने हेतु संशोधित किया जा रहा है।
- भारतीय प्रतभूत एवं वनियम बोर्ड अधिनियम 1992, प्रतभूत सिंवदि (वनियमन) अधिनियम 1956 तथा डिपोजिटरीज़ अधिनियम, 1996 को संशोधित किया गया है ताकि विविधना प्रक्रिया सुचारू बन सके और कुछ उल्लंघनों की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान हो सकें।

क्या हो सकता है समाधान?

सबसे पहले यह समझना होगा कि बैंकिंग घोटालों का संबंध सिर्फ करज़ से नहीं है, बल्कि इनका संबंध संचालनगत जोखिम (Operational Risk) से भी हो सकता है, जिसमें कर्मचारियों या बाहरी लोगों द्वारा व्यवस्थाओं या कार्य-प्रणालियों को नष्ट किया जाना शामिल होता है। जैसे-कोई व्यक्ति बैंक की आईटी प्रणाली को हैक कर ले और ग्राहक के खाते से फंड हस्तांतरित कर दे, तो बैंकों को उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि कतिनी भी विशिष्ट कार्रवाइयों तब तक सफल नहीं हो सकतीं, जब तक पूरी व्यवस्था में गंभीरता का एक समग्र वातावरण सृजित नहीं होता और यह आभास नहीं होता कि सरकार और भारतीय रज़िर्व बैंक इसके प्रतपूरी तरह संजीदा हैं।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए के मामले को सुलझाने के लिये सरकार नरितर परयास कर रही है। वस्तुतः व्यवस्था के अंतरगत दो तरह के करज़दार होते हैं--पहले वे जो घरेलू और वैश्विक मंदी या अन्य कारणों से बकाए का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे वे जो बैंकों के बना सोचे-समझे दिये गए करज़ का जानबूझकर भुगतान नहीं कर रहे हैं।
- सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के बकायेदारों से नपिटने के लिये कई उपाय किये हैं। आर्थिक मंदी के कारण जनि करज़ों का भुगतान नहीं हो पा रहा है उनके लिये सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं।
- सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध नदिशकों सहति शीर्ष प्रबंधन की नयिकृति में पारदर्शति और पेशेवरपन लाया गया है।
- बना किसी तरह के हस्तकषेप के व्यावसायिक नरिणय लेने के लिये सरकार ने बैंक प्रबंधन पेशेवरों को पूरी स्वायत्तता देने के कई उपाय किये गए हैं।
- वसूली कारयवाही को और अधिक कारगर तथा तीवर बनाने के लिये सरफेसी तथा ऋण वसूली नयायाधिकरण अधनियिम में संशोधन कया गया है।
- बकाए ऋण की वसूली के लिये सरकार ने सुझाव दया है कि बैंकों को ज़मानत देने वालों के खलिफ वभिन्न कानूनों के तहत काररवाई करनी चाहयि।
- पारदर्शति लाने के लिये बैंकों से उन करज़दारों की सूची जारी करने के लिये कहा गया है, जनि के करज़ माफ किये गए हैं।
- जानबूझकर करज़ वापसी न करने वाले करज़दारों के खलिफ कठोर काररवाई की जानी चाहयि ताकि भवषिय में इस तरह की घटनाएँ न हों।
- कसिानों की मदद के लिये उनके करज़ों को पुनरगठति कया गया है और कुछ राज्यों में कसिानों के करज़ माफ़ भी कयि गए हैं।
- सरकार ने यह सुनश्चिति करने का परयास कया है कि कुछ उद्योगपतयिों दवारा जानबूझकर करज़ न चुकाने का खामयाजा अन्य उद्योगपतयिों को न भुगतना पड़े।
- इसके अतरिकित दवालियापन संहति, 2016 लाई गई है। इसके लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा।
- ऋण न चुका पाने की स्थति में कंपनी को अवसर दया जाएगा कि वह एक नश्चिति समय में अपने ऋण चुका दे, अन्यथा स्वयं को दवालिया घोषति करे।

टीम दृष्टि इनपुट)

नषिकरष: अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जैफरसन ने कसिी ज़माने में कहा था, “मेरा मानना है कि बैंकगि संस्थाएँ हमारी नागरकि स्वतंत्रताओं के लयि स्थायी फौज़ से भी ज़यादा खतरनाक हैं। यद अमेरकिी जनता ने बैंकों को अपनी मुद्रा पर नरितरण दया तो कभी मुद्रास्फीतति कभी मुद्रा-संकुचन दवारा बैंक और उनके बनाए कॉरपोरेट जनता को उसकी सारी संपत्ति से वंचति कर देंगे।” यह कथन आज बेशक अतशयोक्ति प्रतीत होता है, लेकनि यह भी उतना ही सही है कि लोग बैंकों में अपनी बचत इसलिये रखते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर उनको पूरा पैसा सुरकषति मलि जाएगा। और इससे भी इनकार नहीं कया जा सकता कि कसिी अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रवाह शरीर में रक्त प्रवाह जतिना ही महत्त्वपूर्ण है। जैसे रक्त प्रवाह बंद हो जाने पर शरीर की प्रणाली धवस्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार बढ़ती गैर-लाभकारी परसिंपत्तयिों भी ऐसा ही कर सकती हैं और ऋण के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती हैं। अर्थव्यवस्था की अच्छी सेहत के लयि बैंकों का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी होता है और भारत के बैंकों का डूबता करज़ तथा घोटाले अर्थव्यवस्था के लयि अच्छा संकेत नहीं है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/Why-Crisis-on-Indian-Banks>